ख्या /वर्ष प्र.प : /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
04/1/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप्र मूल वाद [illegible] खारिज किया जा चुका है अतः R-I पत्रावली में कार्यवाही औचित्यहीन है अतः पत्रावली खारिज की जाती है तकसीर प्रथम से जारी हो। पत्रावली कैप्टन कुमार ठेकर बैंकर से रकम की पावर दाखिल हस्तगत हो। उपखण्ड अधिकारी सांभर झील	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kumar Verma
Date: 2024.02.29 12:36:04 IST
Reason: SelfAttested